

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)**

अपील संख्या  
12/14/2025

रजि० न०  
2025/135

प्रवेश तिथि  
20.05.2025

निर्णय दिनांक  
08.07.2025

1. शिवचरण पुत्र श्री ओमकार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलांत

बनाम

1. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।

—असल रेस्पोडेन्ट

2. राजेन्द्र पुत्र श्री ओमकार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक  
20.02.2025 प्रकरण संख्या 22/24

उपस्थित:-

01. श्री वीरेन्द्र मेहरा

02. राजकीय अभिभाषक

—वकील अपीलाण्ट

—वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 20.02.2025 प्रकरण संख्या 22/2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

वकील अपी० द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आलोच्य निर्णय दिनांक 20-02-2025 प्रकरण संख्या 22/2024 की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर अपील के साथ पेश की जा रही हैं। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को नोटिस जेर दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया गया। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट ने तामील होने पर अपने अभिभाषक के साथ तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को वकील साहब ने जवाब नोटिस पेश करने के बाद आश्वासन दिया था, कि तहत अदालत से जो भी निर्णय होगा, उसकी जानकारी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को दे देंगे, जिस आश्वासन पर विश्वास कर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट आलोच्य निर्णय के दिन नेकनियति व सदभावनापूर्वक तहत अदालत में उपस्थित नहीं थे, मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के वकील साहब उपस्थित थे। तथा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के वकील साहब द्वारा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को काफी समय से प्रकरण में हुई, कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई। आलोच्य निर्णय तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट की गैरमौजूदगी व गैरजानकारी में पारित करने के कारण मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य निर्णय की किसी तरह की नहीं थी। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14-05-2025 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर बेदखल करने व पेनेल्टी वसूल करने का प्रयास कर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य निर्णय की जानकारी देने पर हुई। जिस पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट ने दिनांक 15-05-2025 को तहत अदालत में जानकारी कर नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 16-05-2025 को तैयार होकर दिनांक 16-05-2025 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 17-05-2025 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज०)

ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने का कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 18-05-2025 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहव से अपील आदि तैयार कराकर आजी के लिए अपील प्रथम जानकारी की दिनांक 14-05-2025 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। आलोच्य निर्णय तहत अदालत दिनांक 20-02-2025 से सर्वप्रथम जानकारी के दिनांक 14-05-2025 तक का समय मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट की जानकारी के अभाव में लाइली होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नहीं है ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 14-05-2025 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अपील के साथ अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.6186 हैक्टर किस्म डहरी 2 में से रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, उक्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान द्वारा एक रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष पेश कर अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर जोत करना जाहिर किया गया है। जिस पर अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को उक्त तहत अदालत द्वारा प्रकरण सं. 22/2024 दर्ज कर नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। तत्पश्चात तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के खिलाफ कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आलोच्य निर्णय दिनांक 20-02-2025 को पारित किया गया है। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है। यह कि आलोच्य निर्णय तहत अदालत बेजा व विधि विरुद्ध एवं मौके व कब्जे तथा राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.6186 हैक्टर किस्म डहरी 2 में से रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, जिस पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को जो नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहत अदालत द्वारा जारी किया गया है, वह नोटिस कानूनन गलत बिना किसी साक्ष्य के बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से जारी किया गया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 67 स्थित ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान सिवायचक जमीन नहीं है, ना मूर्ति मन्दिर की जमीन रही है, बल्कि मूर्ति मन्दिर के नाम गलत खातेदारी में दर्ज कर रखी है, जबकि यह जमीन हमारी बुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पहले से ही हमारे बुजुर्ग रामप्रसाद व उसके बाद मैं व भाई ओमकार, भौरेलाल का कब्जा चला आ रहा है, भौरेलाल व ओमकार के मरने के बाद उनके वारिसान दिनेश, शिवचरण व राजेन्द्र का कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी खसरा नंबर 67 के पुराने साबिक खसरा नंबर 48 थे, जिसकी जमाबंदी संवत 2012 में अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के बाबा रामप्रसाद गैरमौरूसी साल 12 दर्ज है, तथा जमाबंदी संवत 2016 में बाबा रामप्रसाद के नाम गैरखातेदारी

अतिरिक्त ~~श्रीमान~~ कलेक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज०)

में दर्ज हैं। तथा जिसका इन्द्राज जमाबंदी सन्वत् १४७० कले एवं आशी हैं, उसके बाद सन्वत् १४७० कले एवं आशी २०२० के सैटिलमेन्ट ने हमारे बाबा रामप्रसाद की कब्र की फाशत की जमीन मानते हुए, हमारे पूर्वजो पिताओ को खातेदारी दे दी थी। बाद में मूर्ति मंदिर के नाम गलत खिलाफ कानून व मौका खातेदारी में दर्ज हो गई, जिसकी दुरुस्ती व हमारे नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान में दावा व अनुदान सेडूराम एवं अन्य वादीगण (बनाम) राजस्थान सरकार को रिपोर्ट जिला कलेक्टर अलवर राजस्थान एवं अन्य प्रतिवादीगण विचाराधीन हैं। मामला सक्षम अदालत में विचाराधीन हैं। इसलिए तहत अदालत को उक्त राजस्व अदालत में विचाराधीन उक्त वाद का निर्णय होने तक अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट के खिलाफ कोई वेदखली की कार्यवाही नहीं कर प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिए थी। परन्तु तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट ने कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है, पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट अतिक्रमी नहीं हैं। लेकिन तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर दिनांक २३-०१-२०२५ को जवाब नोटिस पेश किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। लेकिन तहत अदालत ने दिनांक २०-०२-२०२५ की आदेशिका में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट की उपस्थिति दर्ज की हैं, जबकि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट उपस्थित नहीं थे, हमारे वकील साहब उपस्थित थे। तहत अदालत द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के उपरान्त मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को कोई सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जिस कारण से मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट अपना पक्ष तहत अदालत के समक्ष नहीं रख सकें। इसलिए तहत अदालत द्वारा बिना अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को सुनवाई का अवसर दिए, तथा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

तहत अदालत ने अपीलान्ट आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया हैं। जिससे निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तरतीबी रैस्पाडैन्ट तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा हैं, जो अपीलान्ट बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं। इसलिए रफाये हुज्जत तरतीबी रैस्पाडैन्ट पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य दौराने बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान दिनांक २०-०२-२०२५ प्रकरण संख्या २२/२०२४ अंतर्गत धारा ९१ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ निरस्त फरमाया जावे। तथा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को नोटिस अर्न्तगत धारा ९१ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ के भार से मुक्त फरमाया जावें। महति कृपा होगी।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा ०५ परिसीमा अधिनियम १९६३ पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाते का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज०)

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का टोडा की संवत् 2081 की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 के अनुसार शिवचरण, राजेन्द्र पुत्रान ओमकार द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 67 रकबा 1.6186 है0 किस्म डहरी 2 में से 0.10 है0 रकबे पर जोत लगाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। विवादित भूमि की किस्म डहरी 2 है तथा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार उक्त आराजी खसरा नं0 मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हि0 पूर्ण सा0 देह0 खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व से ही हमारे बुजुर्गान की खातेदारी की आराजी रही है किन्तु अपीलान्ट द्वारा स्वयं या बुजुर्गान की खातेदारी के संबंध में कोई ठोस तथ्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किये, केवल जुबानी तौर पर कहने से आराजी पर खातेदारी सिद्ध नहीं होती है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण से एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 20.02.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 20.02.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(योगेश कुमार डागुर)  
अतिरिक्त जि. कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज0)